न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
1/484	26.10.2020	14.01.2026

बउनवान

01. मु. मुली बेवा कैलाश चन्द, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बालेटा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर (मृतक)
1/1. श्रीमती शकुन्तला शर्मा पत्नी श्री लोकेश शर्मा निवासी शिवकालोनी तिजारा रोड, अलवर
1/2. श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री सुन्दरलाल शर्मा निवासी हुजुरी गेट अलवर

वादीगण

बनाम

01. राज सरकार, जरिये जिलाधीश महोदय, अलवर
02. तहसीलदार, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर
03. फकीरा पुत्र बक्शी जाति खटीक, निवासी ग्राम बोलटा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादीगण द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादनी के पति भारतीय फौज में मुलाजिम थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। वादनी के फौजी की बेवाह औरत होने के कारण आराजी मुतनाजा साबिक खसरा संख्या 1402 मिन रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 3130 रकबा 0.42 ऐयर व 3129/3671 रकबा 0.35 ऐयर व साबिक खसरा नम्बर 1437 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल नम्बर 3291 रकबा 0.10 ऐयर, 3292 रकबा 0.22 ऐयर, 3293 रकबा 0.14 ऐयर, 3294 रकबा 1.01 हैक्टेयर, 3295 रकबा 0.07 ऐयर, 3296 रकबा 0.03 ऐयर बने, वाके ग्राम बालेटा, तहसील अलवर का आवंटन वादनी के नाम भू–आवंटन सलाहकार समिति अलवर द्वारा दिनांक–07.06.1965 को किया गया था। उक्त आवंटन आदेश की पालना में वादनी को बाजाप्ता आराजी मुतनाजा का कब्जा जर्ये घटनाबही संख्या–413 दिनांक–17.08.1965 को दिलाया जा चुका है तथा वादनी तभी से आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है तथा वर्तमान समय में वादनी का कब्जा आराजी मुतनाजा पर चला आ रहा है। वादनी का आवंटन जायज अज 10 साल हो चुके है जिस कारण कानूनन वादनी आराजी मुतनाजा की खातेदार–काश्तकार हो गयी है तथा वादनी अलोटमेन्ट की शरह अनुसार कानूनन आराजी मुतनाजा की खातेदार–काश्तकार हो गयी है। अब वादनी को पता चला हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1437, तितम्बा नम्बर1437/1 रकबा 4 बीघा काटा जाकर

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

क्त रकबा का आवंटन प्रतिवादी संख्या 3 के नाम कर दिया गया तथा उक्त कथित ावंटन आदेश की पालना में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया है, जो कथित आवंटन आदेश इंतकाल गैर खातेदारी प्रतिवादी संख्या–3 के नाम वादनी के खिलाफ निम्नलिखित आधार पर बातिल व बेअसर, नाकाबिल होने के कारण नाकाबिल ाबंदी है:–

क) यह कि कथित आवंटन आदेश बहक प्रतिवादी संख्या–3, वादनी के खिलाफ बालाबाला एकतरफा पारित किया गया है कि जिस आवंटन आज्ञा को सादिर फरमाने से पूर्व ना तो वादनी को किसी प्रकार का नोटिस दिया और ना ही पैरवी आदि करने का मौका सादिर फरमाया गया, जिस कारण वादनी अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रही।

ख) आराजी मुतनाजा का आवंटन पूर्व मे ही वादनी के नाम किया जा चुका है तथा आराजी मुतनाजा का कब्जा भी वादनी को दिया जा चुका है, ऐसी सूरत में कानूनन जब तक वादनी का आवंटन आदेश निरस्त ना फरमाया जावें तथा जब तक वादनी को उक्त आराजी से बेदखल ना किया जावे, तब तक कानूनन आराजी मुतनाजा का आवंटन नहीं किया जा सकता था। ऐसी सूरत में आराजी मुतनाजा की बाबत् किया गया आवंटन आदेश व इंतकाल गैर खातेदारी वादनी के खिलाफ नाकाबिल पांबदी है।

दावा हाजा के लिए बिनायदावी दिनांक– 07.06.1965 जिस दिन आराजी मुतनाजा का आवंटन वादनी के नाम किया गया तथा दिनांक–17.08.1965 जिस दिन आराजी मुतनाजा का कब्जा वादनी को दिया गया तथा बिनाय मुखासमत दिनांक–08.08.1987 को पैदा होती है, जिस दिन प्रतिवादीगण ने वादनी को आराजी मुतनाजा से बेदखल करने तथा आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा करने तथा वादनी को बेदखल करने की धमकी दी। वादनी ने वादपत्र को डिक्री फरमाया जाकर निम्नलिखित अनुतोष सादिर फरमाने का निवेदन किया कि–

(क) डिक्री बाबत् इस्तकरार हक बहक वादनी बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमायी जावें कि वादनी आराजी खसरा नम्बर साबिक 1402 मिन रकबा–3 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 3130 रकबा 0.42 ऐयर, व 3129/3671 रकबा 0.35 ऐयर तथा साबिक खसरा नंबर 1437 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल नंबर 3291 रकबा 0.10 ऐयर, 3292 रकबा 0.22 ऐयर, 3293 रकबा 0.14 ऐयर, 3294 रकबा 1.01 हैक्टेयर, 3295 रकबा 0.07 ऐयर, 3296 रकबा 0.03 ऐयर बने, वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा जिला अलवर की काबिज एवं खातेदारी काश्तकार है।

(ख) यह करार दिया जावें कि आराजी मुतनाजा में से खसरा संख्या 1437/1 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम बालेटा की बाबत किया गया आवंटन बहक प्रतिवादी संख्या–3 दर्ज किया गया इंतकाल गैर खातेदारी वादनी के खिलाफ बातिल, बेअसर व नाकाबिल पाबंदी है।

(ग) डिक्री बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमायी जावें कि वो वादनी को आराजी मुतनाजा में कार्यकाश्तकारी करने, फसल बोने, काटने आदि में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत ना करे, ना ही आराजी से बेदखल करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या–3 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा का विवरण इस प्रकार है कि मुताबिक मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2020 साबिक आराजी खसरा नम्बर 1402 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा तथा साबिक आराजी खसरा नम्बर 1437 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज रिकॉर्ड रही है। बंदोबस्त सम्वत् 2051–71 में तैयार मिलान क्षेत्रफल निम्न प्रकार से है:–

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

साबिक		हाल	
आराजी खसरा नंबर	रकबा	आराजी खसरा नंबर	रकबा
1402	3 बीघा 5 बिस्वा	3130	0.43 हैक्टेयर
		3129/3671	0.35 हैक्टेयर
1437 मि.	4 बीघा 3 बिस्वा	3291	0.10 हैक्टेयर
		3292	0.22 हैक्टेयर
		3293	0.14 हैक्टेयर
		3294	1.01 हैक्टेयर
		3295	0.07 हैक्टेयर
		3296	0.03 हैक्टेयर

उक्त हाल आराजी खसरा नंबर मे से मात्र आराजी खसरा नंबर 3294 रकबा 1.01 खाता संख्या 236 मिसल बंदोबस्त में " फकीरा बल्द बंशी कौम खटीक सा0 देह खातेदार " के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। अन्य शेष आराजी खसरा नंबर राजकीय सिवायचक आराजी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड रहे है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 3294 रकबा 1.01 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2071–72 में " किशनलाल पुत्र प्रभाती जाति कोली सा0 सकट तहसील राजगढ खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीया का राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार के रूप में अंकन नहीं है अतः वादीया खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नही है। वाद वादीया खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली मे उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाधक की रचना की गयीः–

(1) आया वाद, खसरा नंबर 1402 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 1437 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बालेटा वादी को दिनांक 07.06.1965 को आवंटन किया गया था। वादी को दिनांक–17.08.1965 को कब्जा दिया गया था, तभी से वादी काश्त करती हुई चली आ रही है, वादी खातेदार हो चुकी है?

–जिम्मे वादी

(2) आया वाद, वादी का उक्त आवंटन निरस्त किये बिना व बेदखल किये बिना प्रतिवादी संख्या 3 के हक में खसरा नंबर 1437/1 रकबा 4 बीघा का आवंटन व गैर खातेदारी नही की जा सकती थी जो वादी के खिलाफ नाकाबिल पाबंदी है?

–जिम्मे वादी

(3) दादरसी।

पत्रावली में वकील वादी द्वारा साक्ष्य में हल्फनामे बाबूलाल पुत्र पांचूराम PW 1, रामस्वरूप पुत्र शिवदयाल PW 2, लल्लूराम पुत्र नानगराम PW 3, हरीराम पुत्र रामजीवन PW 4, गिर्राज प्रसाद पुत्र शिवप्रसाद PW 5, माधोप्रसाद शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा PW 6 तथा साक्ष्य दस्तावेजात में मुख्तयारनामा खास EX 1, आंशिक नकल आवंटन प्रोसेडिंग रजिस्टर सन् 1965 EX 2, आंशिक नकल घटनाबही पटवारी EX 3, जमाबंदी सम्वत् 2038 प्रमाणित प्रतिलिपि EX 5, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035 प्रमाणित प्रतिलिपि EX 6, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2042 प्रमाणित प्रतिलिपि EX 7, जमाबंदी सम्वत् 2043 प्रमाणित प्रतिलिपि EX 8, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2043 प्रमाणित प्रतिलिपि EX 9, प्रस्तुत किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

पत्रावली मे तहसीलदार मालाखेडा से वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/556 दिनांक–12.09.2025 में निम्नलिखित बिन्दु अंकित किये है:–

(1) मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 3130 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 3129/3671 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 3291 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 3292 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 3293 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 3295 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 3296 रकबा 0.03 हैक्टेयर सिवायचक (राज. सरकार) हाल रिकॉर्ड दर्ज है।

(2) खसरा नंबर 3294 रकबा 1.01 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम किशनलाल पुत्र प्रभाती जाति कोली सा. सकट, तहसील राजगढ खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

(3) मौके पर उपस्थित मौतवीरान ने बताया कि वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीया शकुन्तला पत्नी लोकेश, बीना पत्नी सुन्दरलाल शर्मा का कब्जा काश्त नहीं होना बताया। उक्त वर्णित खसरे पडत है।

पत्रावली में वकील वादी ने लिखित बहस पेश की। वकील वादी ने लिखित बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में विरचित किये गये विवाधको के संबंध में न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार है:–

सर्वप्रथम विवाधक संख्या 1 का विनिश्चय किया जा रहा है:–

विवाधक संख्या 1– आया वाद, खसरा नंबर 1402 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 1437 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बालेटा वादी को दिनांक 07.06.1965 को आवंटित्त किया गया था। वादी को दिनांक–17.08.1965 को कब्जा दिया गया था, तभी से वादी काश्त करती हुई चली आ रही है, वादी खातेदार हो चुकी है?

इस विवाधक को साबित करने का भार वादी पर है। इस विवाधक के संबंध में वादनी ने यह अभिकथित किया हैं कि वादनी एक फौजी की बेवाह औरत है तथा फौजी की बेवाह औरत होने के कारण भू–आवंटन सलाहकार समिति अलवर द्वारा दिनांक– 07.06.1965 को आराजी मुतनाजा साबिक खसरा संख्या 1402 मिन रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा व 1437 रकबा 8 बीघा 3 बीस्वा वाके ग्राम–बालेटा, तहसील अलवर (वर्तमान तहसील मालाखेडा) का आवंटन वादनी को किया गया था तथा वादनी को बाजाप्ता आराजी मुतनाजा का कब्जा जर्ये घटनाबही संख्या 413 दिनांक–17.08.1965 को दिया जा चुका है तथा वादनी तभी से आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। इस संबंध में वादनी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 2 व 3 पेश किये है एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में PW 1 में बाबूलाल, PW 2 रामस्वरूप, PW 3 लल्लूराम, PW 4 हरीराम, PW 5 गिर्राज प्रसाद, PW 6 माधोप्रसाद शर्मा, को परिक्षत करवाया है। वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में भूमि आवंटन कमेटी प्रोसेडिंग रजिस्टर दिनांक–07.06.1965 प्रदर्श 2 में आवंटन कमेटी द्वारा मूली बेवा कैलाश चन्द को खसरा संख्या गत 1402 मि. रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा तथा 1437 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा के आवंटन का उल्लेख है तथा घटना बही पटवारी दिनांक–18.08.1965 प्रदर्श 3 में वादी को आवंटित खसरा नंबरान का उल्लेख है। वादनी द्वारा पत्रावली में कृषि योग्य भूमि के आवंटन आदेश की प्रति पेश नही की गयी है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड पेश किया है जिससे वादनी के आवंटनशुदा भूमि पर दखल व कब्जे का प्रमाण हो। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सम्वत् 2020 में आराजी गत खसरा संख्या–1402 व 1437 राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज रिकॉर्ड रही है। गत खसरा संख्या–1402 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा तथा 1437 मि. रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा से सैटलमेंट सम्वत् 2051 में हाल खसरा सख्या 3130, 3129/3671, 3291, 3292, 3293,

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

294, 3295, 3296 बने है जिनमे से मात्र आराजी खसरा संख्या 3294 रकबा 1.01 हैक्टेयर खाता संख्या 236, मिसल बंदोबस्त में " फकीरा वल्द बंशी कौम खटीक सा. देह खातेदार " के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है, अन्य शेष खसरा संख्या राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज रिकॉर्ड रहे है। इस तरह से विषाधक संख्या–1 को वादनी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है।

विवाधक संख्या–2 का विवरण इस प्रकार है कि–" आया वाद, वादी का उक्त आवंटन निरस्त किये बिना व बेदखल किये बिना प्रतिवादी संख्या–3 के हक में खसरा संख्या–1437/1 रकबा 4.00 बीघा का आवंटन व गैर खातेदारी नही की जा सकती थी। जो वादी के खिलाफ नाकाबिल पाबंदी है। "

इस विवाधक को साबित करने का भार वादी पर है। वादनी ने वादपत्र में अभिकथित किया हैं कि आराजी खसरा संख्या 1437 तितम्बा नंबर 1437/1 रकबा 4 बीघा काटा जाकर उक्त रकबा का आवंटन प्रतिवादी संख्या–3 के नाम कर दिया गया तथा उक्त कथित आवंटन आदेश की पालना में प्रतिवादी संख्या–3 के नाम एक इंतकाल गैर खातेदारी प्रतिवादी संख्या–3 के नाम दर्ज व तस्दीक कर दी गयी। कथित आवंटन आदेश बहक प्रतिवादी संख्या –3 वादनी के खिलाफ एकतरफा पारित किया गया है, जिस आवंटन आज्ञा को सादिर फरमाने से पूर्व ना तो वादनी को किसी प्रकार का नोटिस दिया गया और ना ही पैरवी करने का मौका सादिर फरमाया गया। चुंकि आराजी मुतनाजा का आवंटन पूर्व में ही वादनी के नाम किया जा चुका है तथा आराजी मुतनाजा का कब्जा को वादनी को दिया जा चुका है, जब तक वादनी का आवंटन आदेश निरस्त नही फरमा दिया जाता है व वादनी को विवादित आराजीयात से बेदखल नही कर दिया जाता तब तक कानूनन आराजी मुतनाजा का आवंटन नही किया जा सकता। आराजी मुतनाजा की बाबत् किया गया आवंटन आदेश व इंतकाल गैर खातेदारी वादनी के खिलाफ नाकाबिल पाबंदी है। अपने अभिकथन के समर्थन में वादनी द्वारा साक्ष्य में हलफनामे PW 1 में बाबूलाल, PW 2, रामस्वरूप, PW 3 लल्लूराम, PW 4 हरीराम, PW 5 गिर्राज प्रसाद, PW 6 माधोप्रसाद शर्मा व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 9 प्रस्तुत किये है। सर्वप्रथम वादनी द्वारा पत्रावली में विवादित आराजीयात गत खसरा संख्या 1402 व 1437 वाके ग्राम बालेटा, तहसील मालाखेडा के कृषि योग्य भूमि आवंटन आदेश की प्रति पेश नहीं की गयी है और ना ही ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड पेश किया है, जिससे वादनी के आवंटन शुदा भूमि पर दखल व कब्जे का प्रमाण हो। वादनी द्वारा वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 3 " फकीरा पुत्र बक्शी, ग्राम बालेटा " को आवंटित खसरा संख्या 3294 रकबा 1.01 हैक्टेयर के आवंटन आदेश की प्रति पेश नहीं की गयी है। वादनी द्वारा प्रस्तुत EX 5 जमाबंदी संवत् 2038 प्रमाणित प्रतिलिपि में आराजी खसरा संख्या–1437/1 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम बालेटा, 'फकीरा वल्द बक्शी कौम खटीक सा. देह खातेदार का अंकन है ; EX 6 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035–2038 में फकीरा वल्द बख्शी कौम खटीक सा. देह अलौटी, EX 7 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2039–2042 में फकीरा वल्द बक्शी कौम खटीक सा. देह गैर खातेदार का अंकन है। तहसीलदार वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक–12.09.2025 में वर्णित किया है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 3130 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 3129/3671 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 3291 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 3292 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 3293 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 3295 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 3296 रकबा 0.03 हैक्टेयर सिवायचक (राज. सरकार) हाल रिकॉर्ड दर्ज है, मौके पर उपस्थित मौतवीरान ने बताया कि वर्णित आराजीयात पर शकुन्तला पत्नी लोकेश, बीना पत्नी सुन्दरलाल शर्मा का कब्जा काश्त नहीं होना बताया। उक्त वर्णित खसरे पडत है। खसरा संख्या 3294 रकबा 1.01 हैक्टेयर किस्म बा0 / सोयम

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

किशनलाल पुत्र प्रभाती जाति कोली सा. सकट तहसील राजगढ खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात व तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है विवादित आराजीयात खसरा सख्या 3130, 3129/3671, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296 प्रारम्भ से ही सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड रही है। वादनी उक्त विवादित आराजीयात पर खातेदारी व कब्जा सिद्ध करने में असफल रही है। अन्य आराजी खसरा संख्या 1437/1 रकबा 4 बीघा पर संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या–3 फकीरा वल्द बक्शी का ही राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार के रूप में प्रविष्टि है, जिसका वर्तमान खसरा संख्या 3294 रकबा 1.01 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम किशनलाल पुत्र प्रभाती जाति कोली सा. सकट तहसील राजगढ खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि वादनी द्वारा पत्रावली में विवादित आराजीयात खसरा संख्या–1402 व 1437 वाके ग्राम–बालेटा, तहसील मालाखेडा के आवंटन आदेश की प्रति तथा आवंटित भूमि पर कब्जे/दखल से जुडा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है तथा तहसीलदार मालाखेडा द्वारा भी विवादित आराजीयात को सरकारी भूमि व पडत बताया है, फलस्वरूप वादनी विवाधक संख्या–2 को भी सिद्ध करने में असफल रही है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजीयात खसरा सख्या 3130, 3129/3671, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296 प्रारम्भ से ही सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड रही है। वादनी उक्त विवादित आराजीयात पर खातेदारी व कब्जा सिद्ध करने में असफल रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अनुतोष पोषणीय नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)